तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4293/2003/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम शंभू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 22.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 11.07.2003 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकीकरण जमाबंदी संवत् 2015 ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी में खसरा संख्या 455 रकबा 15 बिस्वा माफी मंदिर श्री महादेवजी विराजमान देह व एहतमाम पुजारी जगन्नाथ व भैरू पि. रामदेव, नारायण व भैरू पि. गोरवन, जगन्नाथ वल्द श्योलाल व रामू वल्द श्योनाथ, चंदा व रामेश्वर पि. भौरीलाल कौम गोस्वामी सा0देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में नारायण वल्द बालवन गोस्वामी का नाम दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मंदिर के बजाय नारायण वल्द बालवन कौम गोस्वामी के हक में दर्ज कर दी गई। खातेदार नारायण के फौत होने पर जरिए विरासत नामांतकरण संख्या 165 दिनांक 24.03.74 से शंभू, भगवान, केदार पि. नारायण गोस्वामी के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबदी संवत् 2050–53 में भूमि शम्भू, भगवान, केदार पि0 नारायण जाति गोस्वामी सा0 देह की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तांतरण हुआ है, वह अवैध है। चूंकि ऐसी आराजी शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर मूर्ति श्री महोदवजी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2003 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4293/2003/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम शंभू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज थी, जिसे बाद में माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई। वर्तमान में भूमि अप्रार्थीगण के हक में आ चुकी है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का हस्तांतरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है, जो अवैध है। काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 (4) व 46(1) में मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर मूर्ति की भूमि को दर्ज किया गया है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, इसकी खातेदारी की भूमि अन्य के नाम नहीं हो सकती है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर श्री महादेवजी के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी की खतौनी बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील बस्सी में खसरा संख्या 455 रकबा 15 बिस्वा माफी मंदिर श्री महादेवजी विराजमान देह व एहतमाम पुजारी जगन्नाथ व भैरू पि. रामदेव, नारायण व भैरू पि. गोरवन, जगन्नाथ वल्द श्योलाल व रामू वल्द श्योनाथ, चंदा व रामेश्वर पि. भौरीलाल कौम गोस्वामी सा0देह की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में नारायण वल्द बालवन गोस्वामी का नाम दर्ज था। कालांतर में जमाबंदी संवत् 2021–24 बनाते समय माफी मंदिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मंदिर के बजाय नारायण वल्द बालवन कौम गोस्वामी के हक में दर्ज कर दी गई। खातेदार नारायण के फौत होने पर जरिए विरासत नामांतकरण संख्या 165 दिनांक 24.03.74 से शंभू, भगवान, केदार पि. नारायण गोस्वामी के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबदी संवत् 2050–53 में भूमि शम्भू, भगवान, केदार पि0 नारायण जाति गोस्वामी सा0 देह की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4293/2003/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम शंभू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तांतरण हुआ है, वह अवैध है। भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि राजस्व जमाबंदी अभिलेख संवत् 2015 अनुसार विवादग्रस्त आराजी का माफी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज होना तथा कृषक के कॉलम में नारायण वल्द बालवन गोस्वामी सा0देह का नाम होना स्पष्ट है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 11.07.2003 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम सांभरिया तहसील बस्सी की आराजी खसरा संख्या 455 रकबा 15 बिस्वा भूमि जो माफी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज थी का आवंटन/ पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी तथा तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम किए गए समस्त इंद्राजों एवं नामांतकरणों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः माफी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य